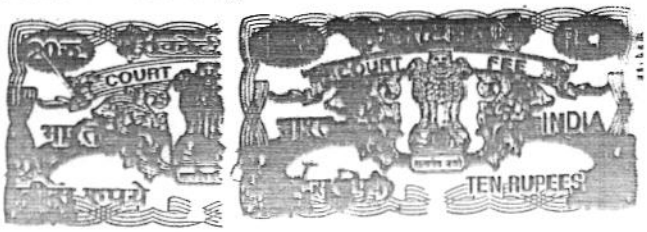

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

1/निगरानी/सागर/भू०रा/2017/3200

1. हरीश सोनी तनय रामचरण सोनी
2. रूचि सोनी पत्नि स्व. मनीष सोनी

निवासी पुरवाउ टौरी तह. व जिला सागर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

श्रीमति मनीला अनुश्री कंडया पत्नि अजय कंडया
निवासी रविशंकर वार्ड, मोतीनगर, सागर
तह. व जिला सागर ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मंडल सागर तह. व जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 7/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनाक 2/12/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा भूमि खसरा क्र 162/1, 162/5 रकवा क्रमशः 0.113, 0.405 हे स्थित मौजा धर्मश्री के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्तागण सरहदी कृषक जिनकी भूमि खसरा क्रमांक 162/4 है तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3200

हरीश सोनी व अन्य विरूद्ध श्रीमती मनीला अनुश्री कंडया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल सागर तहसील व जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 07/अ—12/2016—17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 02—12—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 07/3/19	